

सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए "निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत" आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

योजना का उद्देश्य: योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के ऐसे तालाब जिसमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो उसमें उड़ाही के द्वारा तालाब के जलधारण क्षमता को बढ़ाना ताकि मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि हो सके।

योजना का क्रियान्वयन: योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

तालाब जीर्णोद्धार का मॉडल		
मॉडल-1	पुराने निजी तालाबों का जीर्णोद्धार	योजनान्तर्गत अन्य वर्ग को 30 प्रतिशत अनुदान एवं अतिपिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 40 प्रतिशत अनुदान देय।
मॉडल-2	योजनान्तर्गत निर्मित निजी तालाबों का जीर्णोद्धार	

वांछित कागजात: फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक खाता (IFSC कोड सहित), जाति प्रमाण पत्र, अद्यतन राजस्व रसीद, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, लीज (09 वर्ष) एकरारनामा (1000 रु) नन जुडिसियल स्टाम्प पर ली गई, भूमि पर निर्मित तालाब जमीन का नक्शा इत्यादि।

आवेदन की प्रक्रिया: योजना हेतु आवेदन fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 30.06.2023 तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या: 1936, दिनांक: 16.05.2023 से प्राप्त की जा सकती है, जो विभागीय वेबसाइट: <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> पर प्रदर्शित है।

